

12
11.2.2017
प्रेषक,ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

तकनीकी शिक्षा विभाग,

देहरादून : दिनांक : 30 जनवरी, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक मांग में स्वीकृत धनराशि/अवशेष आवश्यक धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII-I/2017 दिनांक 30.06.2017, शासनादेश संख्या-1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017, शासन के आदेश संख्या-541/XLI-1/2017-26/2017 दिनांक 03.05.2017, शासन के आदेश संख्या-1321/XLI-1/2017-26/2017 दिनांक 18.07.2017, शासन के आदेश संख्या-1779/XLI-1/2017-26/2017 दिनांक 26.09.2017 एवं आपके पत्र संख्या-1592/नि.प्रा.शि./लेखा/प्लान छ-1/2017-18 दिनांक 01.01.2018 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक मांग के आय-व्ययक में वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रु. 43439 हजार (रु. चार करोड़ चौतीस लाख उन्नचालीस हजार मात्र) को निम्नलिखित लेखाशीर्षक/शर्तों, प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 एवं 27.12.2017 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
 3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मद हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 5. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक संख्या-2203-तकनीकी शिक्षा-00-105-बहुशिल्प (पालिटेक्निक) विद्यालय-00-03-सामान्य पालिटेक्निक-01-वेतन के मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश शासनादेश संख्या-183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट

आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक-1 के अन्तर्गत प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)


अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 143 (1)/XLI(1)/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(जी.एस. बिष्ट)
उप सचिव।